

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अ.प्र./सेल-5/2016/460
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14/3/2016

समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:—नर्सिंग होम के सतत परीक्षण के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समय-समय पर प्रदेश के निजी नर्सिंग होम्स में मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोउपचार संबंधी स्थापनाएँ (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 व नियमों के पालन न किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोउपचार संबंधी स्थापनाएँ (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के तहत टीम गठित कर प्रायवेट चिकित्सालय/नर्सिंग होम का समय-समय पर निरीक्षण करावें एवं यह सुनिश्चित करें कि सभी निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम्स द्वारा मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोउपचार संबंधी स्थापनाएँ (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 व नियमों के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। पालन प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरकर्ता को 15 दिवस में ई-मेल hospital.mphealth@gmail.com पर अवगत करावें।



संचालक, (अ.प्र.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृष्ठ क्रमांक/अ.प्र./सेल-5/2016/

भोपाल, दिनांक / /2016

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय।
1. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
2. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।

संचालक, (अ.प्र.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश